सं0सं0–1/विविध–71/2018 – 587(7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।**

पटना, दिनाक– 28/03/2025

विषयः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमुई के निर्माण हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5,00,00,00,000/– (रुपये पाँच अरब) की लागत से स्वीकृत योजना के लिए राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 60,00,00,000/–(रुपये साठ करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, जमुई के निर्माण हेतु प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5,00,00,00,000/– (रुपये पॉच अरब) मात्र की योजना की विभागीय स्वीकृति राज्यादेश सख्या–310(1), दिनाक–07 03 2019 के द्वारा दी गयी है। इस केंन्द्र प्रायोजित योजनातर्गत केन्द्राश मद आवटित कुल राशि रू० 150 00 करोड एव समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रु० 100 00 करोड अर्थात् कुल राशि रू० 250 00 करोड व्यय की स्वीकृति दी जा चूकी है। शेष प्राक्कलित राशि के व्यय का वहन राज्य योजना मद से किया जाना है।

2–भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से अब तक प्राप्त आवटनादेश एव अब तक विभागीय स्तर पर स्वीकृत एव निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को आवटित राशि की विवरणी निम्नवत् है–

क्र०सं०	विभागीय राज्यादेश स०	केन्द्राश	राज्याश
1	स०–1051(1), दिनाक–09 12 2020	50,25,00,000	6,93,24,500
2	स०–56(7), दिनाक–03 08 2021	9,30,00,000	6,20,00,000
3	स०–334(7), दिनाक–28 11 2023	90,45,00,000	25,00,00,000
4	स०–457(7), दिनाक–30 01 2024		40,87,00,000
5	स०–223(7), दिनाक–18 10 2024		21,00,00,000
	कुल आवटित राशि	**1,50,00,00,000**	**1,00,00,24,500**
	कुल राशि (केन्द्राश राज्याश)	**2,50,00,24,500**	

3–राज्य योजना मद से अबतक निगम को आंवटित की गयी राशि की विवरणी निम्नवत है–

क्र०सं०	विभागीय आंवटनादेश स०	आवटित राशि
1	स0 200(7) दिनाक–28 08 2023	25,00,00,000
2	स0 655(7) दिनाक–15 03 2024	31,00,00,000
	कुल आवटित राशि	**56,00,00,000**

4–उक्त के आलोक मे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, जमुई के निर्माण हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5,00,00,00,000/– (रुपये पॉच अरब) की लागत से स्वीकृत योजना के लिए राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2024–25 मे रू0 60,00,00,000/–(रुपये साठ करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5–उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं0–310(1), दिनाक–07 03 2019 मे अंकित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

– राज्य योजना मद से इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजो हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101 53 01 मुख्य निर्माण कार्य इकाई मे तृतीय अनूपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08 एवं 3758/वि0, दिनाक–31 05.2017 एव 12888/वि०, दिनांक–03.12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7– **वित्त विभाग पत्र संख्या– 2867, दिनांक–13.03.2025** की कंडिका–2(ii) में दिये गये निर्देश के आलोक मे पी०एल०खाता मे राशि अंतरण के मामले मे वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

8–इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

9– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-----------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

10– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda)ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे ।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार बिहार पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–1/विविध–71/2018 के पृष्ठ–46 /टि0 पर प्राप्त है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापाक:–1/विविध–71/2018 – 587(7) /स्वा0, पटना, दिनाक– 28/03/2025

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–मा0 उप मुख्यमत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना एवं प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव उक्त सभी को ई—मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

587(7)
28|3|2025

सरकार के विशेष सचिव